कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम भीलवाडा

क्रमांक जिशिअमी/मा–प्र/संस्था–2/फा– नियु/लिग्रेद्वि/2018/५३५८ दिनांक 10.04.2018

नियुक्ति आदेश लिपिक ग्रेड द्वितीय

क्रस	मेरिट सं	नाम अभ्यर्थी	जन्म दिनाक	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	पिता का नाम	पदस्थापन स्थान.
1	3624	दुर्गा शंकर विश्नोई	05/05/1990	BC	GEN M	शिवनारायण विश्नोई	राउमावि सरेरी बडारो की
2	4293	चन्द्र प्रकाश रेगर	30/05/1990	SC	SC M	लखाराम रेगर	राउमावि धामणिया माण्डलगढ

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, भीलवाडा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम) भीलवाड़ा

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/ 17–18 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा –2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ,जयपुर द्वारा डी.बी सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 3.11.17 की पालना में जारी परिणाम के तहत लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर चयनित आशार्थियों को नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/– रू. प्रतिमाह पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक–प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।

1 इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।

2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।

3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरुद्ध, प्रतिकुल रिपोर्ट पायी जाती है जो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी साथ ही अपराधिक/विधि कार्यवाही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्व अमल में लायी जावेगी । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इसकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन होगी ।

4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

5 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है,अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्व कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

6 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

7– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनाक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बन्धी वचनबंधता **{Undertaking}** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।

लगातार पेज 2 पर

8– एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.5.17 के अध्यधीन रहेगें व **उक्त नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई आधार पर मानी जावेगी ।**

9– संस्थाप्रधान इस आभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्पयूटर संबंधी) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके संतुष्टि करके ही कार्यग्रहण करावें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है ।

10– संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व जिनका चयन अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग से चयनित आशार्थीयों से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । महिला आवेदन के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु आशार्थी अपने पिता की आय की आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा । ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दें ।

11– इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व पुष्टी करले की कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम भीलवाडा से पूर्व दस्तावेज सत्यापन करा लिये है ।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **25.04.2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनके कार्य ग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना इस कार्यालय को एवं अपने नियन्त्रण अधिकारी को तत्काल प्रेषित करेगें ।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

सलग्न :– सूची कमांक 1

(अशोक कुमार)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–I, भीलवाडा

क्रमांकः–जिशिअभी/माप्र/संस्था–2/फा–नियु/2018/ 4548

दिनांक 10-04-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01–प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
02–शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03–शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
04–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्राशि, राजस्थान, बीकानेर
06– उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेमर मण्डल अजमेर
07–जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वितीय)/प्रारंभिक शिक्षा भीलवाडा
08–संबंधित संस्था प्रधान ———— को आशार्थी के मूल आवेदन पत्र सहित भेजकर लेख है कि मूल आवेदन इनके सेवाभिलेख में लगावें ।
09–संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–I, भीलवाडा